

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

ऑनलाईन प्रस्ताव क्रम संख्या / FP/MP/IRRIG/32637/2018

7	परियोजना / स्कीम का स्थान																			
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	(i)	मध्य प्रदेश																	
(ii)	जिला	(ii)	रतलाम																	
(iii)	वन प्रभाग	(iii)	वनमण्डल रतलाम / परिक्षेत्र शिवगढ़, के वनखण्ड का नाम - रावटी 'बी' आवेदित क्षेत्र 12.770 हेक्टेयर जिसका विवरण निम्नानुसार है :- (अ) वन विभाग के अधीन वन भूमि में -																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>परिक्षेत्र का नाम</th> <th>आरक्षित / संरक्षित वनखण्ड का नाम</th> <th>कक्ष क्रमांक</th> <th>आवेदित क्षेत्र</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>02</td> <td>03</td> <td>04</td> </tr> <tr> <td>शिवगढ़</td> <td>रावटी 'बी'</td> <td>P-36 P-37</td> <td>5.630 7.140</td> </tr> <tr> <td></td> <td>योग</td> <td></td> <td>12.770</td> </tr> </tbody> </table>	परिक्षेत्र का नाम	आरक्षित / संरक्षित वनखण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्र	01	02	03	04	शिवगढ़	रावटी 'बी'	P-36 P-37	5.630 7.140		योग		12.770	
परिक्षेत्र का नाम	आरक्षित / संरक्षित वनखण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्र																	
01	02	03	04																	
शिवगढ़	रावटी 'बी'	P-36 P-37	5.630 7.140																	
	योग		12.770																	
			(ब) राजस्व विभाग के अधीन वन भूमि में -																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>परिक्षेत्र का नाम</th> <th>तहसील का नाम</th> <th>ग्राम का नाम</th> <th>खसरा क्र०</th> <th>आवेदित क्षेत्रफल (हे. में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>02</td> <td>03</td> <td>04</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">----- निरंक -----</td> </tr> </tbody> </table>	परिक्षेत्र का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्र०	आवेदित क्षेत्रफल (हे. में)	01	02	03	04	05	----- निरंक -----						
परिक्षेत्र का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा क्र०	आवेदित क्षेत्रफल (हे. में)																
01	02	03	04	05																
----- निरंक -----																				
			कुल आवेदित क्षेत्रफल 12.770 हे.																	
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	(iv)	12.770 हेक्टेयर																	
(v)	वन की कानूनी स्थिति	(v)	संरक्षित वन क्षेत्र																	
(vi)	वनों का घनत्व	(vi)	आवेदित वनक्षेत्र मिश्रित वन श्रेणी का है जिसका घनत्व 0.2 से कम तक है। औसत घनत्व 0.2 से कम है, जिसमें कोई वृक्ष नहीं है।																	

<p>(vii) आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की परिगणना संलग्न की जाए। सिंचाई/विद्युत परियोजना के संबंध में एक.आर.एल., एक.आर.एल.-2 मीटर और एक.आर.एल.-4 मीटर पर भी वृक्ष गणना संलग्न किया जाए।</p>	<p>(vii) आवेदित क्षेत्र में निम्नानुसार प्रमुख वनस्पति प्रजातियां पायी जाती है।</p> <table border="1" data-bbox="1348 996 1508 2161"> <tr> <td>अनु क्रमांक</td> <td>प्रजाति का स्थानीय नाम</td> <td>वानस्पतिक (बाटनीकल) नाम</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>निरंक</td> </tr> </table> <p>आवेदित क्षेत्र में स्थित वृक्षों की संख्या निम्नानुसार है :-</p> <table border="1" data-bbox="1157 996 1348 2161"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">गोलाई वर्षावार संख्या</td> </tr> <tr> <td>प्रजाति</td> <td>10-20</td> <td>21-60</td> <td>61-120</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>121 एवं अधिक</td> <td>कुल</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>निरंक</td> <td></td> </tr> </table>	अनु क्रमांक	प्रजाति का स्थानीय नाम	वानस्पतिक (बाटनीकल) नाम			निरंक			गोलाई वर्षावार संख्या		प्रजाति	10-20	21-60	61-120			121 एवं अधिक	कुल			निरंक																				
अनु क्रमांक	प्रजाति का स्थानीय नाम	वानस्पतिक (बाटनीकल) नाम																																								
		निरंक																																								
		गोलाई वर्षावार संख्या																																								
प्रजाति	10-20	21-60	61-120																																							
		121 एवं अधिक	कुल																																							
		निरंक																																								
<p>(viii) भू-क्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी (वर्तमान भू-क्षरण की तीव्रता एवं प्रस्तावित परियोजना में वनक्षेत्र व्यपवर्तन होने पर सम्भावित भू-क्षरण बाबत)</p>	<p>(viii) आवश्यक नहीं है।</p>																																									
<p>(ix) वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी</p>	<p>(ix) आवेदित क्षेत्र संरक्षित वनखण्ड रावटी 'बी' की सीमा में है।</p>																																									
<p>(x) क्या आवेदित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हों, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)</p>	<p>(x) आवेदित क्षेत्र सैलाना अभयारण्य से लगभग 45.00 कि.मी. से अधिक दूरी पर स्थित है।</p>																																									
<p>(xi) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हों / तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।</p>	<p>(xi)</p> <table border="1" data-bbox="391 996 678 2161"> <thead> <tr> <th colspan="2">प्रजाति</th> <th colspan="3">स्थिति (कृपया टिक करें)</th> </tr> <tr> <th>अ.क्र.</th> <th>स्थानीय नाम</th> <th>वैज्ञानिक नाम</th> <th>दुर्लभ</th> <th>संकटापन्न</th> <th>विशिष्ट</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">निरंक</p>	प्रजाति		स्थिति (कृपया टिक करें)			अ.क्र.	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	दुर्लभ	संकटापन्न	विशिष्ट	1.						2.						3.						4.						5.					
प्रजाति		स्थिति (कृपया टिक करें)																																								
अ.क्र.	स्थानीय नाम	वैज्ञानिक नाम	दुर्लभ	संकटापन्न	विशिष्ट																																					
1.																																										
2.																																										
3.																																										
4.																																										
5.																																										
<p>(xii) क्या कोई संरक्षित पुरात्त्ववीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।</p>	<p>(xii) आवेदित क्षेत्र तथा इसके आसपास में संरक्षित पुरात्त्ववीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और अन्य महत्वपूर्ण स्मारक नहीं है। इस संबंध में प्रमाण-पत्र संलग्न है।</p>																																									

8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कॉलम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जोंचे गये विकल्पों के ब्यौरे के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	8	आर्गेदित क्षेत्र के चयन में तीन विकल्प मानचित्र एवं तुलनात्मक प्रपत्र संलग्न है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्योरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे है?	9	नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा -		
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित (बिगड़ा) वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार	(i)	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु वन मण्डल स्तलाम में वन परिक्षेत्र स्तलाम के ग्राम विबडोद के अन्तर्गत भूमि सर्वे नम्बर 881, रकबा 12.770 हेक्टेयर उपलब्ध कराया गया है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए निर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकारी (उप वनसंरक्षक) का प्रमाण-पत्र	(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण उपयोगिता प्रमाण-पत्र वनमण्डलाधिकारी-स्तलाम द्वारा प्रमाणित किया गया है।
(iii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप (गैर वन भूमि भी वन मानचित्र पर दर्शाई जावे) वनीकरण हेतु चयनित भूमि का पी.डी.ए. अथवा मोबाईल मैपर से सर्वक्षित डिजिटल मानचित्र (सॉफ्ट-कॉपी)-5 हेक्टेयर से कम के प्रकरणों में 1:3960 स्केल (पटपारी मानचित्र 16 इंच=1 मील) भी संलग्न किया जावे।	(iii)	प्रतिपूरक वनीकरण हेतु डिजिटल मानचित्र संलग्न है।
(iv)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूचित लागत काचा आदि	(iv)	रोपित की जाने वाली प्रजाति एवं प्रतिपूरक वनीकरण प्राक्कलन संबंधी योजना वनमण्डलाधिकारी-स्तलाम द्वारा तैयार किया गया है, जो संलग्न है।

11	उप वन संरक्षक (वनमण्डलाधिकारी) की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7(Xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	11	वनमण्डलाधिकारी श्री डॉ शैलेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 27-09-2018 निर्धारित प्रारूप पर संलग्न है।																																																																								
12	विभाग / जिला प्रोफार्सल	12	वनमण्डलाधिकारी, रतलाम																																																																								
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	(i)	जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्र 4861 वर्ग किलो मीटर है।																																																																								
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	(ii)	जिले का कुल वनक्षेत्र 49262 वर्ग कि.मी. है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.16% है।																																																																								
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनोत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	(iii)	अभी तक जिले में 16 प्रकरणों में कुल 222.611 हेक्टेयर वन क्षेत्र गैर वानिकी कार्य हेतु प्रयोग में लाया गया।																																																																								
(iv)	1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (टांडिक प्रतिपूरक वनीकरण सहित)	(iv)	दिनांक 24-10-1980 से भारत सरकार / राज्य सरकार / नोडल अधिकारी मुख्य वनसंरक्षक (भू-सर्वे) से प्राप्त स्वीकृति अनुसार अभी तक 11 प्रकरणों में कुल 267.500 हेक्टेयर वनक्षेत्र गैर वानिकी कार्य हेतु प्रयोग में लाया गया है :-																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में (हे. मे)</th> <th>दण्डस्वरूप वनभूमि पर (हे. मे)</th> <th>स्वीकृति अनुसार गैर वनभूमि पर (हे. मे)</th> <th>दण्डस्वरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)</th> <th>योग</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1989</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>20.350</td> <td>-</td> <td>20.350</td> </tr> <tr> <td>1990</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>7.880</td> <td>-</td> <td>7.880</td> </tr> <tr> <td>1990</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>6.600</td> <td>-</td> <td>6.600</td> </tr> <tr> <td>1999</td> <td>-</td> <td>16.600</td> <td>8.300</td> <td>-</td> <td>24.900</td> </tr> <tr> <td>1999</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>19.120</td> <td>-</td> <td>19.120</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>39.590</td> <td>-</td> <td>39.590</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8.260</td> <td>-</td> <td>8.260</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4.240</td> <td>-</td> <td>4.240</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>20.780</td> <td>-</td> <td>20.780</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>132.380</td> <td>-</td> <td>132.380</td> </tr> <tr> <td>योग :</td> <td></td> <td><b>16.600</b></td> <td><b>267.500</b></td> <td>-</td> <td><b>284.100</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>(क) वनभूमि पर 16.600 हेक्टेयर (ख) वनोत्तर भूमि पर 267.500 हेक्टेयर स्वीकृति अनुसार किया जाने वाला कुल वृक्षारोपण 284.100 हेक्टेयर</p>				वर्ष	दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में (हे. मे)	दण्डस्वरूप वनभूमि पर (हे. मे)	स्वीकृति अनुसार गैर वनभूमि पर (हे. मे)	दण्डस्वरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)	योग	1989	-	-	20.350	-	20.350	1990	-	-	7.880	-	7.880	1990	-	-	6.600	-	6.600	1999	-	16.600	8.300	-	24.900	1999	-	-	19.120	-	19.120	2007	-	-	39.590	-	39.590	2010	-	-	8.260	-	8.260	2010	-	-	4.240	-	4.240	2015	-	-	20.780	-	20.780	2016	-	-	132.380	-	132.380	योग :		<b>16.600</b>	<b>267.500</b>	-	<b>284.100</b>
वर्ष	दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में (हे. मे)	दण्डस्वरूप वनभूमि पर (हे. मे)	स्वीकृति अनुसार गैर वनभूमि पर (हे. मे)	दण्डस्वरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)	योग																																																																						
1989	-	-	20.350	-	20.350																																																																						
1990	-	-	7.880	-	7.880																																																																						
1990	-	-	6.600	-	6.600																																																																						
1999	-	16.600	8.300	-	24.900																																																																						
1999	-	-	19.120	-	19.120																																																																						
2007	-	-	39.590	-	39.590																																																																						
2010	-	-	8.260	-	8.260																																																																						
2010	-	-	4.240	-	4.240																																																																						
2015	-	-	20.780	-	20.780																																																																						
2016	-	-	132.380	-	132.380																																																																						
योग :		<b>16.600</b>	<b>267.500</b>	-	<b>284.100</b>																																																																						

(v)	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	(v)	अभी तक जिले में निम्नानुसार प्रतिपूरक वृक्षारोपण किया गया है,																																																																													
13	प्रस्ताव को स्वीकृति करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उष वन संरक्षक का कारण सहित अभिमत नोट - आवेदित वन भूमि के व्यपवर्तन से जिले/राज्य के वन एवं पर्यावरण पर संभावित विपरीत प्रभाव एवं प्रस्तावित परियोजना से सम्भावित लाभों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने बाबत स्पष्ट अभिमत दिया जावे। यदि किन्ही विशेष शर्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है तो उन शर्तों का ब्यौरा दिया जावे।	13	<table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>दुगने विगड़े वनक्षेत्र में (हे. मे)</th> <th>दण्डस्वरूप वनभूमि पर (हे. मे)</th> <th>स्वीकृति अनुसार गैर वनभूमि पर (हे. मे)</th> <th>दण्डस्वरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)</th> <th>योग</th> <th>व्यय लाख में</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1992-93</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>20.350</td> <td>-</td> <td>20.350</td> <td>1.87</td> </tr> <tr> <td>99-2000</td> <td>-</td> <td>16.600</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>16.600</td> <td>1.82</td> </tr> <tr> <td>2010-11</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>39.590</td> <td>-</td> <td>39.590</td> <td>57.07</td> </tr> <tr> <td>2013-14</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>26.700</td> <td>-</td> <td>26.700</td> <td>57.70</td> </tr> <tr> <td>2014-15</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8.260</td> <td>-</td> <td>8.260</td> <td>23.35</td> </tr> <tr> <td>2016-17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>105.000</td> <td>-</td> <td>105.000</td> <td>160.71</td> </tr> <tr> <td>2016-17</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>27.000</td> <td>-</td> <td>27.000</td> <td>49.72</td> </tr> <tr> <td>2017-18</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>20.780</td> <td>-</td> <td>20.780</td> <td>43.00</td> </tr> <tr> <td>2017-18</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>6.600</td> <td>-</td> <td>6.600</td> <td>14.07</td> </tr> <tr> <td>योग :-</td> <td>-</td> <td>16.600</td> <td>254.280</td> <td>-</td> <td>270.880</td> <td>409.31</td> </tr> </tbody> </table> <p>(क) वनभूमि पर 16.600 हेक्टेयर (ख) वनेत्तर भूमि पर 254.280 हेक्टेयर अभी तक किया गया कुल वृक्षारोपण 270.880 हेक्टेयर</p> <p>प्रस्तावित गड़वादिवा तालाब परियोजना में कुल 12.770 हे. संरक्षित वनभूमि प्रभावित होगी प्रभावित वनभूमि चारागाह विकारा कार्यवृत्त में होकर क्षेत्र BL2 में 0.2 से कम घनत्व का वनक्षेत्र है। जिसमें लेंटाना प्रजाति की झाड़िया एवं खेजड़ा के 10 से.मी. से कम के 08 वृक्ष हैं। न्यूनतम वनभूमि उपयोग में होने से ग्रामिणों को सिंचाई एवं रोजगार उपलब्ध होगा। अतः प्रस्तावित गड़वादिवा तालाब परियोजना की अनुशंसा की जाती है।</p>	वर्ष	दुगने विगड़े वनक्षेत्र में (हे. मे)	दण्डस्वरूप वनभूमि पर (हे. मे)	स्वीकृति अनुसार गैर वनभूमि पर (हे. मे)	दण्डस्वरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)	योग	व्यय लाख में	1992-93	-	-	20.350	-	20.350	1.87	99-2000	-	16.600	-	-	16.600	1.82	2010-11	-	-	39.590	-	39.590	57.07	2013-14	-	-	26.700	-	26.700	57.70	2014-15	-	-	8.260	-	8.260	23.35	2016-17	-	-	105.000	-	105.000	160.71	2016-17	-	-	27.000	-	27.000	49.72	2017-18	-	-	20.780	-	20.780	43.00	2017-18	-	-	6.600	-	6.600	14.07	योग :-	-	16.600	254.280	-	270.880	409.31
वर्ष	दुगने विगड़े वनक्षेत्र में (हे. मे)	दण्डस्वरूप वनभूमि पर (हे. मे)	स्वीकृति अनुसार गैर वनभूमि पर (हे. मे)	दण्डस्वरूप गैर वनभूमि पर (हे. मे)	योग	व्यय लाख में																																																																										
1992-93	-	-	20.350	-	20.350	1.87																																																																										
99-2000	-	16.600	-	-	16.600	1.82																																																																										
2010-11	-	-	39.590	-	39.590	57.07																																																																										
2013-14	-	-	26.700	-	26.700	57.70																																																																										
2014-15	-	-	8.260	-	8.260	23.35																																																																										
2016-17	-	-	105.000	-	105.000	160.71																																																																										
2016-17	-	-	27.000	-	27.000	49.72																																																																										
2017-18	-	-	20.780	-	20.780	43.00																																																																										
2017-18	-	-	6.600	-	6.600	14.07																																																																										
योग :-	-	16.600	254.280	-	270.880	409.31																																																																										

दिनांक : .....-09-2018  
स्थान : रतलाम

  
[डॉ शैलेन्द्र कुमार गुप्ता]  
वनमण्डलाधिकारी  
रतलाम (म.प्र.)